

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
कुलवन्त कौर बनाम सुरेन्द्रसिंह
249/16 व 250/16

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2016 एवं नामान्तरकरण संख्या 575 वाके ग्राम फूटोलाव पर पारित आदेश दिनांक 29.02.16 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार आत्मसिंह पुत्र बच्चनसिंह के वारिसान की जांच की जाकर मृतक की विरासत के नामान्तरकरण विधि सम्मत कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलीयों पर पृथक-पृथक रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा बाद तकमील पत्रावली जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।


(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

—: संशोधन आदेश:- दि. 12/5/17

अपील संख्या 250/16 के निर्णय दिनांक 08-3-16 के स्थान पर दिनांक 08-3-17 संशोधित किया जाता है।


संभागीय आयुक्त
जयपुर 12/5/17

के खं. व. 3
संभागीय आ
जयपुर